न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 356/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

लेदा उराँव – विक्रेता

झिगी मुण्डाईन वो किरण कच्छप – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
30.05.20	**आदेश** आवेदक लेदा उराँव पिता स्व0 राम उराँव ग्राम–तपेसरा, पोस्ट–बिनगाँव, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने 1. झिगी मुण्डाईन पति जीगा मुण्डा वो 2. किरण कच्छप पति सुमित संगा ग्राम–तपेसरा, पोस्ट–बिनगाँव, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
तपीगशरा	134	32	238	2.25

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

30/05/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

30/05/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।